न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	लक्ष्मण बनाम कल्याण मु.नं.– 74/21 किस्म – T.S.
	29.1.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
79/2021	20.11.2020	29.01.2026

बउनवान

1. लक्ष्मण पुत्र जिन्सी, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. कंवरलाल पुत्र जिन्सी, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. झण्डू पुत्र जिन्सी, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र किशोरीलाल, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. कैलाष पुत्र किशोरील, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. केवलराम पुत्र मनोहरीलाल, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. जयसिंह पुत्र किशोरील, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. राजेन्द्र पुत्र किशोरील, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. अभिषेक पुत्र किशोरील, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. अमित कुमार पुत्र अमरसिंह, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. गीता पत्नी अमरसिंह, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. नथोली पुत्र बंशी, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. महेश पुत्र देवीसहाय, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. सीताराम पुत्र देवीसहाय, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. मुन्नाराम पुत्र सूसाडया, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
13. रमेश चन्द पुत्र सूसाडया, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
14. हीरालाल पुत्र सूसाडया, निवासी नांगल मीना, तहसील मण्डावर, दौसा।
15. बाबूलाल पुत्र रामधन, निवासी रायपुर, तहसील मण्डावर,दौसा।
16. विमला देवी पत्नी उम्मेदीलाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 व 12 लगायत 14 – श्री हरीसिंह मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 कुल किता 07, कुल रकबा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

1.50 हैक्टे. ग्राम नांगल मीना तहसील महवा हाल मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जो कि साबिक ख.सं. 8 रकबा 5 बीघा 18 बीस्वा वाकेग्राम नांगल मीना से मिलकर बने हैं। आराजी खसरा सं. 31, 44 कुल किता 02 कुल रकबा 0.06 हैक्टे. ग्राम नांगल मीना तहसील महवा हाल मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। जो कि साबिक खसरा सं. 10 रकबा 4 बीस्वा से मिलकर बने है। आराजी खसरा सं. 35, 36, 37 कुल किता 03 कुल रकबा 0.79 हैक्टे. ग्राम नांगल मीना तहसील महवा हाल मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जो कि साबिक खसरा सं. 9 रकबा 3 बीघा 3 बीस्वा से मिलकर बने हैं। आराजी खसरा सं. 38, 39, 40, 41 कुल किता 4 कुल रकबा 3.19 हैक्टे. ग्राम नांगल मीना तहसील महवा हाल मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जो कि साबिक खसरा सं. 11 मिन रकबा 13 बीघा 8 बीस्वा से मिलकर बने है। आराजी ख.नं. 42, 43 कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 हैक्टे. ग्राम नांगल मीना तह. महवा हाल मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। जो कि साबिक खं. नं. 12 मिन रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा से मिलकर बने है। उक्त विवादित आराजीयात सायलान की कब्जे काष्त एवं खातेदारी को आराजी है जिसमे वादीगण से पूर्व उनका पिता एवं पति जिन्सी पुत्र गोपी की कब्जा काष्त की जिसका रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कम था तथा हाल बने नम्बरो का रकबा 1.50 हैक्टे. का है, जमाबन्दी में रकबा तो सायलानों का साबिक जमाबन्दी के समान दर्ज कर दिया लेकिन साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा भारी भूल कर दी तथा सायलान का रकबा साबिक नक्शा ट्रैस के अनुसार नही दर्शा कर उस नक्शा ट्रैस को छोटा कर दिया जिससे सायलान का रकबा हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार पूरा नही हो रहा है जिससे सायलान को भारी क्षति हो रही है। सायलान की आराजी के लगवा रास्ते की साबिक नं. 10 जिसमें बने हाल नं. 31 एवं 44 को उनके स्थान पर यानि साबिक नक्षा ट्रैस के अनुसार नही दर्शाकर सायलान की खातेदारी की आराजी की तरफ दर्शा दिया जिससे कि रास्ता का सम्पूर्ण नं. अब सायलान की खातेदारी की आराजी में बोल रहा है। यदि वर्तमान ट्रेस अनुसार उक्त आराजी की पैमाईष करवाई जाती है तो उक्त रास्ते का सम्पूर्ण रकबा व रास्ता सायलान की खातेदारी की आराजी में आता है जबकि गैरसायलान को अन्य आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र के क्षेत्रफल को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बढ़ा दिया है। इस कारण उक्त रास्ता की सम्पूर्ण भूमि सायलान की आराजी की ओर आती है तथा आज गैरसायलान का रकबा बढ़ता है। जबकि राजस्व कर्मचारियों को इस तरह राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार नही था कि वो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इस तरह राजस्व रिकोर्ड में फेरबदल करे लेकिन उन्होंने किसी के साज से अथवा गैरसायलान के कहने के आधार पर यह गलत इन्द्राज किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व कर्मचारियों अथवा बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा किसी के साज से अथवा सहवन से नई नक्शा ट्रेस बनाते समय भारी भूल कर दी तथा नई नक्शा ट्रैस को साबिक नक्शा के अनुसार नही दर्शाकर उसे छोटा कर दिया जिससे राजस्व रिकोर्ड में एकदम भिन्नता हो गई तथा उक्त भिन्नता के बने रहने से सायलान की खातेदारी का रकबा भी पूर्व रकबा के अनुसार पूर्ण नही होता है। तथा गैरसायलान सायलान को उनके कब्जे शुदा भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। तथा उनकी खातेदारी की भूमि को रास्ता की भूमि बताकर उसमें जबरन निर्माण कार्य करवाना चाहते है जिससे सायलान के हित प्रभावित हो रहे है। इस हेतु सायलान ने लैण्ड होल्डर से निवेदन किया लेकिन उन्होंने इसे दुरुस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा।

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

उक्त गलत इन्द्राजात के बने रहने से सायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। गैरसायलान द्वारा सायलान को दिनांक 12.11.20 को धमकी दी है कि अब उक्त आराजी में जो रास्ते का नम्बर है, उसमे होकर रास्ता का पक्का निर्माण किया जावेगा । तुम्हें इसरो बेदखल किया जायेगा जिस पर सायलान ने तहसीलदार मण्डावर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमे तो हमारी खातेदारी की भूमि जितनी खातेदारी में है उतनी पूरी कर दी जाये तथा हमारी सीमा को समझा दिया जावे। उसके बाद तथा रास्ते की भूमि जिसके पास भी दबी हुई पाई जावे उसे निकलवाकर उसमे होकर रास्ता का खूब निर्माण कर लिया जावे लेकिन ये लोग मानने को तैयार नही है। तहसीलदार ने कहा कि अब तो फसल खडी हुई है इस कारण पैमाईष नही हो सकती है आप इस रास्ते को निर्माण हो जाने दो सायलान ने कहा कि आप रास्ता का जब पुख्ता निर्माण कर देंगें तो हमारी जमीन कहां से पूरी होगी। इसलिये हमारी जमीन की पूर्ति पहले करो बाद में रास्ते का निर्माण करना लेकिन ये किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नही है। इसलिये दौराने दावा यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम हुआ है । सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में है। सायलान का उक्त आराजीयात पर साबिक नक्शा ट्रैस अनुसार काबिज काष्त है जबकि गैरसायलान का सायलान की भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नही है। यदि गैरसायलान अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी इसलिये गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को तादौराने दावा इस अमर की अस्थाई निवेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वो आराजी खसरा सं. 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 कुल किता 7 कुल रकबा 1.50 है. वाकेग्राम नांगल मीना तह. महवा हाल मण्डावर में सायलान की खातेदारी की आराजी एवं कब्जे शुदा आराजी में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से ही करावे । रास्ते की भूमि ख.नं. 31, 44 में रास्ते का निर्माण किये जाने से पूर्व सायलान की भूमि की पैमाईष कर उनकी खातेदारी में जितनी भूमि है उसको सायलान को समझाया जावे ओर सम्भलवाई जावे। उसके उपरान्त ही रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जावे। तथा हाल नक्शा ट्रैस में गलत अंकन हो रहा है उसे दुरुस्त होने तक किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही की जावे। राजस्व रिकोर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे ।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 17 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि – (क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या (ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा दुरुस्ती नक्शा ट्रेस तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात खसरा सं. 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 के प्रार्थीगण खातेदार है तथा खसरा सं. 31, 34 के राजस्थान सरकार खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण वादपत्र के ज़रिये उक्त खसरों के नक्शों में दुरस्ती का अनुतोष चाहते हैं जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत किया जाना संभव हो सकेगा। इस दौरान यदि उक्त खसरों में मौके के स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति तथा असुविधा होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल मीना, पटवार हल्का जटवाडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं.. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44 में प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें, पत्थर बजरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

डालकर जबरदस्ती कब्जा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)
सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज